मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 11880/NREGS-MP/NR-3/2009 भोपाल, दिनांक 31/08/09
/2009

प्रति,
1. कलेक्टर एवं जिला समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
3. कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला–समस्त (मध्यप्रदेश)

विषयः **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं के कमान्ड क्षेत्रों में वाटरकोर्स, फील्ड चैनल एवं उससे संबंधित संरचनाओं के निर्माण कार्यों के लिये "सहस्त्रधारा" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में ।**

संदर्भः **इस विभाग का पत्र क्रं. 18077/22–वि.9, दिनांक 21.11.2007 ।**

---0---

उपरोक्त विषय में लेख है पूर्व में वाटरकोर्स, फील्ड चैनल एवं उससे संबंधित संरचनाओं का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा करावाया जाता था। चूंकि कमान क्षेत्र की परिसम्पत्तियां जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग की है, अतः अब यह कार्य जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विभाग द्वारा किया जावेगा। अतः इस विभाग का पत्र क्रमांक 18077/22–वि.9 दिनांक 21.11.07 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। पूर्व में जो कार्य इस आदेश के तहत चल रहे हैं, वे पूर्वानुसार पूर्ण व [illegible] । कमान क्षेत्रों में वाटर कोर्स, फील्ड चैनल एवं उससे संबंधित संरचनाओं के निर्माण कार्यो के लिए "सहस्त्रधारा" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में नवीन परिपत्र की प्रति संलग्न है ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 11881 /NREGS-MP/NR-3/2009 भोपाल, दिनांक 31/08/2009
प्रतिलिपि -
1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल
4. सदस्य अभियांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कमान क्षेत्रों में वाटरकोर्स, फील्ड चैनल एवं उससे संबंधित संरचनाओं के लिए "सहस्त्रधारा" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में नवीन पत्र दिनांक

1. **पृष्ठभूमि :**

वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं में नहरों का निर्माण केवल एक क्यूसेक क्षमता वाले आउटलेट तक ही सीमित है। इसके उपरान्त खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जाती है। सामान्यतः एक आउटलेट द्वारा 40 हेक्टेयर का क्षेत्र सिंचित किया जाता है। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों यथा कृषि, पंचायत एवं वन विभाग आदि के माध्यम से निर्मित परियोजनाओं द्वारा भी सिंचाई की जाती है।

चूंकि यह व्यवस्था किसान द्वारा उसकी आर्थिक स्थिति तथा सुविधा के अनुसार, जल उपयोग की दक्षता पर कोई ध्यान दिये बिना, की जाती है, इस कारण पानी का अपव्यय अधिक होता है जिसके फलस्वरूप रूपांकित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध वास्तविक सिंचाई काफी कम होती है। इस व्यर्थ हुए पानी का उपयोग रूपांकित क्षेत्र को सिंचित करने हेतु किया जा सकता है। जल के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु समस्त सिंचाई परियोजनाओं में वाटरकोर्स तथा फील्ड चैनल का निर्माण आवश्यक है जिससे पानी के अनावश्यक अपव्यय को रोकते हुए नहर का पानी कोलाबे से किसान के खेत तक प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रूप से पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

चूंकि नहर प्रणाली में कोलाबा के बाद वाटरकोर्स तथा फील्ड चैनल के निर्माण हेतु सामान्यतः धनराशि उपलब्ध की जाना सम्भव नहीं होता है अतः इस राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम – म.प्र. में निहित प्रावधानों के अनुसार, "सहस्त्र धारा" उपयोजना लागू की जाना प्रस्तावित है।

मध्यप्रदेश में सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसूची – 1 के बिन्दु कमांक – 1 (iii), 1 (vi), तथा 1 (vii), में निम्नानुसार प्रावधानित है :

1 (iii) सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं ;

1 (vi) भूमि विकास ;

1 (vii) बाढ़ नियंत्रण संरक्षण संकर्म, जिनके अंतर्गत जलरूद्ध क्षेत्रों में जल निकास भी है;

ध्येय :

इस परिपत्र में प्रदेश की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की रूपांकित क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम– म.प्र. में उपलब्ध धनराशि के माध्यम से कोलाबा से खेत तक पानी पहुँचाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

2 **कमान क्षेत्र के हिताधिकारी :**

(i) ऐसी परियोजनाओं में जो जल संसाधन/नर्मदा घाटी विभाग के अंतर्गत है, में कमान क्षेत्र के समस्त जल उपभोक्ता जो कि जल उपभोक्ता संथा के सदस्य हैं एवं नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु पानी लेते हैं।

3. **कार्य क्षेत्र :**

इस उपयोजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों की जल संसाधन विभाग की समस्त वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के साथ ही कृषि एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित जल संरचनाओ के कमान क्षेत्र में कोलाबा से खेत तक की नहर प्रणाली निर्मित की जावेगी।

4. **कियान्वयन एजेन्सियां :**

इस कार्य हेतु कियान्वयन एजेंसी संबंधित कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग तथा अन्य जल संरचनाओ (40 हेक्टर तक सिचाई क्षमता के निर्मित तालाबों) हेतु यह एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत होगी। जिले में स्थित प्रत्येक सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र के लिए इन कार्यों के ग्राम पंचायतवार प्रस्ताव संबंधित जल उपभोक्ता संथा द्वारा बनाये जाकर, संबंधित सहायक यंत्री के माध्यम से संबंधित कार्यपालन यंत्री जल संसाधन/नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्रेषित किये जावेंगे। संबंधित कार्यपालन यंत्री, अपने कार्य क्षेत्र में स्थित सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र के लिए जनपद परियोजनावार/पंचायतवार/जल उपभोक्ता संथावार/ग्राम पंचायतवार एकजाई प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे तथा जल उपभोक्ता संथाओ के माध्यम से संपादित किये जाने वाले कार्यों पर तकनीकी नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होगें।

5. **संकर्म (कार्य) के चयन की प्रकिया :**

"सहस्त्र धारा" उपयोजना के अन्तर्गत संबंधित जल उपभोक्ता संथा द्वारा वाक थ्रू (प्रस्तावित नहर अलाईनमेन्ट के किनारे पैदल चलना) कर निम्नानुसार संकर्मों का चयन किया जावे :–

i. सिंचाई नहरों (माइको एवं लघु सिंचाई कार्य सहित)
ii. बरहा एवं उस पर आवश्यक पक्की संरचनाओं का निर्माण
iii. खेत नालियों का निर्माण

iv. जल निकास नालियों एवं उस पर आवश्यक पक्की संरचनाओं का निर्माण

6 **संकर्मों (कार्यों) की उपयुक्तता हेतु सर्वेक्षण की तकनीकी प्रकिया :**

i) **नियोजन** : सर्वप्रथम जिस आउटलेट के वाटरकोर्स व फील्ड चैनल का निर्माण कार्य किया जाना हो उससे संबंधी निम्न दस्तावेज संकलित करें :

- खसरा नक्शे में कमान क्षेत्र का अंकन करें।
- नक्शे में आउटलेट की स्थिति को चिन्हित करें।
- खतौनी विवरण।

ii) कमान क्षेत्र के नक्शे पर माइनर नहर, चक तथा सब चक का अंकन किया जाना

iii) कमान क्षेत्र के नक्शे पर रिज लाईन का अंकन (जो सामान्यतः खेत की मेढ़ पर होगी)

iv) नहर के कोलाबा पाईन्ट से निकलने वाली रिज (मेढ़) को स्थल पर (फील्ड पर) ले आउट लगाना

v) खेत पर जल प्रदाय बिन्दु का चिन्हांकन :

vi) ले आउट लगाने के पश्चात् क्रास सेक्शन एवं एल सेक्शन का सर्वेक्षण एवं एल सेक्शन पर आवश्यकतानुसार सीडी, वी आर बी आदि कार्यों को चिन्हित करना तथा ऐसे स्थलों पर अतिरिक्त क्रास सेक्शन लेना।

vii) उपरोक्त (i) से (vi) तक की प्रकियानुसार सर्वेक्षण पश्चात ड्राईग शीट पर प्लाटिंग करना

viii) जल संसाधन विभाग के रूपांकन हेतु निर्धारित तकनीकी परिपत्र में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नहर, वाटर कोर्स, फील्ड चैनल के क्रास सेक्शन तथा एल सेक्शन का रूपांकन करना। कृषि विभाग के कार्यो के संबंध में कृषि विभाग के परिपत्रों एवं पंचायत विभाग के कार्यों के संबंध में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नहर, वाटरकोर्स एवं फील्ड चैनल के क्रास सेक्शन तथा एल सेक्शन का रूपांकन किया जावे। रूपांकन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि संबंधित जल विशिष्टियों में कोई परिवर्तन न हो।

ix) **संभावित पक्की संरचना का रूपांकन करना**

x) **प्राक्कलन तैयार किया जाना,**

जल उपभोक्ता संथा के अधीन कार्यक्षेत्र में जल संसाधन विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जावें जबकि कृषि विभाग के कार्यों हेतु कृषि विभाग के नियमों /मानदण्डों के अनुसार तथा पंचायत कार्यों हेतु मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जावे।

प्राक्कलन सामान्यतः ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सी एस आर के अनुसार इकाई लागत पर आधारित होगा । किन्तु कोई आईटम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सी एस आर [illegible]

प्रावधानित न होने की स्थिति में ऐसे आईटम जल संसाधन विभाग के सी एस आर पर आधारित होंगे। स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थल की विशिष्टताओं व तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही चयनित कार्य की इकाई लागत का निर्धारण किया जाये।

7.(अ) कार्यों का शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना

"सहस्त्रधारा" उपयोजना के तहत प्रस्तावित कार्यों का संबंधित उपयंत्री द्वारा तैयार किया गया परियोजना प्रतिवेदन संबंधित सहायक यंत्री के माध्यम से संबंधित कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग को प्रेषित किया जायेगा। कार्यपालन यंत्री द्वारा परियोजनावार/जनपद पंचायतवार/जल उपभोक्ता संथावार/ग्राम पंचायतवार/कोलाबावार एकजाई प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा। जिला कलेक्टर पंचायती राज संस्थाओं से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत वाटरकोर्स एवं फील्ड चैनल के निर्माण कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के अनुमोदित कार्यों के लिये कार्यपालन यंत्री द्वारा प्राक्कलन तैयार कराते हुए तकनीकी स्वीकृति सुनिश्चित की जावेगी ।

7 (ब) तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रकिया

"सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत प्रस्तावित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रक्रियाधीन होगी :–

7. i. तकनीकी स्वीकृति :

कंडिका 6 (x) में वर्णित प्रकिया का पालन करते हुए तैयार किये गये प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जावे।

7 ii. प्रशासकीय स्वीकृति की प्रकिया :

सभी कियान्वयन एजेन्सियों को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी स्कीम–म.प्र. के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् संबंधित जिला समन्वयक (कलेक्टर) को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत स्वीकृत कार्यों के संपादन हेतु राशि उपलब्ध कराना :

संबंधित प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी। प्रशासकीय स्वीकृति के अनुरूप कार्य संपादन हेतु जिला पंचायत द्वारा राशि सीधे संबंधित कार्यपालन यंत्री को 50% प्रथम किस्त के रूप में तथा शेष 50% राशि अंतिम किस्त के रूप में उपलब्ध कराई जावेगी। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन/ नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा जल उपभोक्ता संथाओं (WUA) को उनके खाते में उपलब्ध कराई जावेगी।

9. **निर्माण कार्य का प्रारंभ किया जाना :**

9.1 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत चयनित कार्यों के कियान्वयन का प्राथमिकता क्रम संबंधित ***कियान्वयन एजेंसी*** निर्धारित करेगी तथा तत्संबंध में हितग्राहियों के नाम व कार्य का नाम अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी।

9.2 कंडिका 7.1 में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं कंडिका 7.4 मे प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कार्यों का ले आउट संबंधित उपयंत्री द्वारा दिया जावे।

9.3 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत प्रस्तावित और उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा कार्य हेतु चयनित निर्माण स्थल पर किया जायेगा। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अन्तर्गत "सहस्त्र धारा" उपयोजना एक श्रमोन्मुखी योजना है, अतः कार्यो के कियान्वयन में मशीन का प्रयोग कदापि न किया जावे।

9.4 कार्यो की प्रगति के अनुपात में संबंधित कियान्वयन एजेन्सी द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस के खातों के माध्यम से श्रमिक/मजदूरों को भुगतान किया जावेगा।

10. **क्रियान्वयन व गुणवत्ता :–**

10.1 क्रियान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जाये।

10.2 कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे। हितग्राही कृषक भी उसके लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्य की निगरानी कर सकेगा।

10.3 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत कार्य के पूर्ण होने पर अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन/नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा संबंधित उपयंत्री कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र विभाग अपने रिकार्ड में संधारित करेगा। कार्य के निर्माण स्थल पर भूमि स्वामी हितग्राही/उपयोगकर्ता दल के सदस्यों

के नाम, कार्य की लागत व आकार अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया जायेगा। जिस पर कार्य का नाम, कार्य पर व्यय राशि तथा कार्य की पूर्णता दिनांक पेंट से अंकित होगी।

10.4 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत संपादित कार्य का विवरण पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

10.5 विभाग के आदेश क्र.3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप इस परिपत्र के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

11. निर्मित संरचनाओं के रख रखाव का दायित्व तथा इनसे पानी का वितरण

11.1 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत निर्मित संरचनाओं के रख रखाव का दायित्व संबंधित संथा अथवा उपयोगकर्ता दल के सदस्यों का होगा। अतः इस संबंध में क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा संथाओं अथवा उपयोगकर्ता दलों को स्पष्ट समझाईश कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही दे दी जानी चाहिये।

11.2 "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत उक्त प्रकार से विकसित अधोसंरचना से पानी के समानता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित वाराबन्दी की प्रक्रिया के अनुसार वितरण सुनिश्चित होना चाहिये। इस हेतु वाराबंदी की प्रक्रिया कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तय कर संथा या उपयोगकर्ता समूह द्वारा लिपिबद्ध कर ली जानी चाहिये, ताकि क्रियान्वयन के पश्चात विवाद की स्थिति निर्मित होने की संभावनाओं को निरस्त किया जा सके।

11.3 **नहर संचालन के पूर्व जल उपभोक्ता संथा की साधारण सभा में जल की उपलब्धता के आधार पर फसल चयन कर जल बजट बनाकर वाराबंदी प्रणाली पर आधारित जल का वितरण किया जावे। जल के समानुपाती वितरण को सुनिश्चित करने के लिए यह एक अनिवार्य प्रकिया है जिसका पालन कड़ाई से किया जाए ।**

12. मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :–

12.1 **कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग अपने क्षेत्राधीन जल उपभोक्ता संथाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत**

"सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत वाटरकोर्स, फील्ड चैनल एवं उसकी संरचनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

12.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म.प्र. के अन्तर्गत "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत वाटरकोर्स, फील्ड चैनल एवं उसकी संरचनाओं के कम से कम 20% कार्यों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

12.3 क्वालिटी मॉनिटर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत "सहस्त्र धारा" उपयोजना के तहत वाटरकोर्स, फील्ड चैनल एवं उसकी संरचनाओं के शत प्रतिशत कार्यों की मॉनिटरिंग की जायेगी।

12.4 कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसी तरह के कार्यों की आयोजना एवं क्रियान्वयन के लिये जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कमान क्षेत्र विकास संचालनालय का गठन किया जा चुका है जिसकी संभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष संबंधित संभागीय आयुक्त हैं। अतः सहस्त्रधारा योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए जा रहे कार्यों की स्वीकृति एवं उनकी पूर्णता की जानकारी संभागीय आयुक्त एवं संचालक, राज्य स्तरीय कमान क्षेत्र विकास संचालनालय जल संसाधन विभाग को कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग आवश्यक रुप से प्रदान की जायेगी।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल